कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713552, 2713724

संख्याः 730 /XXV–08/2018 देहरादूनः दिनांक 01 मई, 2018.

सेवा में, **MOST-URGENT**

अपर निदेशक
राजकीय मुद्रणालय, रूडकी।
हरिद्वार।

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य की 05–थराली(अ0जा0) विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–100/ECI/ UKD-LA/1/2018 दिनांक 03 मई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयोग द्वारा जनपद चमोली की 05–थराली(अ0जा0) विधान सभा के लिए उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई है। आयोग की अधिसूचना संख्या–100/ECI/TERR/UKD-LA/1/2018/Ns-II दिनांक 03 मई, 2018 की हिन्दी एंव अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आयोग की उक्त अधिसूचना को राज्य के असाधारण गजट दिनांक 03 मई, 2018 में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित गजट की 25–25 प्रतियां तत्काल इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0 संख्या–730/ xxv–08/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली को भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या–100/ECI/UKD-LA/1/2018 दिनांक 03 मई, 2018 एवं आयोग की अधिसूचना संख्या–100/ECI/TERR/UKD-LA/1/2018/Ns-II दिनांक 03 मई, 2018 की हिन्दी एंव अंग्रेजी प्रति संलग्न सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः –यथोपरि।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

R
O/C

By Fax/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No.100/ECI/TERR/UKD-LA/1/2018 Dated: 3th May, 2018

To

The Chief Electoral Officer,
Uttarakhand,
Dehradun

Subject: Bye-election from **05-Tharali (SC)** Assembly Constituency in the State of Uttarakhand – Notification- regarding.

Sir,

I am directed to state that the Commission has announced on 26th April 2018 the schedule for holding the bye-election to fill the vacancy from **05-Tharali (SC)** Assembly Constituency caused due to death of Sh. Magal Lal Shal.

2. I am directed to forward herewith, in advance, Commission's Notification No.100/ECI/TERR/UKD-LA/1/2018 dated 03.05.2018 and to request that necessary arrangements may kindly be made for their publication in an extraordinary issue of State Gazette dated 3rd May, 2018.

3. Six off-take copies containing the above mentioned notification may kindly be forwarded to the Commission as soon as it is published.

4. The hours of poll will be from 8.00 AM to 5.00 PM.

5. The Counting of votes will be at 8.00AM on 31.05.2018

6. The receipt of this letter together with its enclosures may kindly be acknowledged by Fax.

Yours faithfully,

(KUMAR RAJEEV)
UNDER SECRETARY

BE PUBLISHED IN THE EXTRAORDINARY ISSUE OF THE OFFICIAL GAZETTE OF THE STATE OF UTTARAKHAND DATED 3 May 2018

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated : 3rd May, 20
13 Baisakha, 1940(Sal

NOTIFICATION

No. 100/ECI/TERR/UKD-LA/1/2018/NS-II: - WHEREAS, the seat of Shri Magan Lal Shah in t Legislative Assembly Constituency of State of Uttarakhand, elected from 05-Tharali (SC) AC, h become vacant on 25 February 2018 by reason of his death; **and**

2. **WHEREAS,** a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE,** in pursuance of sub-section(1) & (2) of section 150, and section 30 and ! of the Representative of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

(A) **Calls upon** the said 05-Tharali(SC) Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, elect, before 2nd June(Saturday) and in accordance with the provision of the said act and of the rules aı order made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Castes of Uttarakhand state for tl purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the Uttarakhand state;

(B) **Appoints**, with respect to the said election :-

(a) The 10th May,2018 (Thursday), as the last date for making nominations;
(b) The 11th May, 2018 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) The 14th May, 2018(Monday) as the last date of withdrawal of candidatures;
(d) The 28th May, 2018(Monday) as the date on which a poll shall, if necessary be taken up; and
(e) The 2nd June, 2018(Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from **8.00 AM to 5.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessar be taken on the date specified above for the election.

By orde

(Rahul Sharm.
SECRETAR
ELECTION COMMISSION OF INDI

उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में 3 मई 2018 को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दिनांकः 3 मई, 2018
13 बैशाख, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं0 100/भा0नि0आ0/क्षे0/उत्तरा0–वि0स0/1/2017(उप)/उ0अनु0–2 :– यतः, उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में, **05–थराली (अ0जा)** विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र से निर्वाचित, श्री मगन लाल शाह का स्थान उनके त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप 25 फरवरी, 2018 को रिक्त हो गया है :और

2 यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन कराया जाना है;

3 यतः, अब, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1)और (2) एवं धारा 30 और 56 के अनुसरण में,भारत निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा :–

(अ) उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में **05–थराली (अ0जा)** विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 2 जून, 2018 (शनिवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उत्तराखण्ड राज्य से संबंध रखने वाले अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में––

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	10 मई 2018 (वीरवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	11 मई, 2018 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	14 मई, 2018 (सोमवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	28 मई, 2018 (सोमवार)
(ड) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	2 जून, 2018 (शनिवार)

नियत करता है:, और

(इ) **8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न** तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

(राहुल शर्मा)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग